\178

Spl. Sec.
O. S. D. (K)

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र
12 JAN 2015
बिहार, पटना

सं0 एल0ए0 / एस0एस0 –1 / श0स्था0नि0 / 14465/2156 दिनांक:– 02.01.15

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, हिसुआ के वर्ष 2013–14 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 534 / 14–15 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
13 JAN 2015
संख्या 332
बिहार, पटना

भवदीय,

31/12/14

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–534 / 14–15

भाग– I

प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर पंचायत, हिसुआ (नवादा)
2.	लेखा वर्ष	2013–14
3.	अंकेक्षण की अवधि	24.06.14 से 30.06.14
4.	लेखा परीक्षा दल के सदस्य	1. श्री मनोज कुमार–I, व0ले0प0अ0 2. श्री ओम प्रकाश सिंह, स0ले0प0अ0 3. श्री राजेश कुमार–III, स0ले0प0अ0 4. श्री आलोक कुमार–III, ले0प0 5. श्री शिवराम, ले0प0
5.	कार्यालय प्रधान का नाम	श्री सच्चिदानन्द सिन्हा, कार्यपालक पदाधिकारी
6.	क्या कार्यालय प्रधान के साथ विचार–विमर्श हुआ	हाँ।

7. दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई / कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

8. लेखापरीक्षा परिणाम

1	अंकेक्षण के दौरान वसूल की गयी राशि	शून्य
2	वसूली के लिए सुझायी गयी राशि	1446775.00
3	अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखी गयी राशि	1565933.00
4	अधिभार के अन्तर्गत वसूली हेतु राशि	शून्य

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– III पर)

9. सामान्य अभ्युक्ति

नगर पंचायत, हिसुआ की लेखा का संधारण संतोषप्रद नहीं था। इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। अनुदान तथा अनुदान विनियोग पंजी, सम्पति पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। मॉग एवं बकाया पंजी इत्यादि का भी संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया, गृह तथा वृति कर की वसुली हेतु सार्थक प्रयास किए जाए। वार्षिक लेखे (आय– व्यय लेखा, तुलन पत्र के साथ) का संधारण नहीं किया जा रहा था। सशक्त स्थायी समिति की बैठक / कार्यवाही नियमानुसार करवायी जाय। नगर पंचायत, हिसुआ प्रशासन से आग्रह है कि इसके संधारण के प्रयास किए जाए। नगर पंचायत प्रशासन की लेखा संधारण को अधिक पारदर्शी तथा सूचनात्मक बनाने हेतू विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

1176

भाग–II (क)

शून्य

भाग–II (ख)

कंडिका– 1 35 KVA 3 Phase Fabricon make D.G. set जेनेरेटर का अनुपयोगित रहना

नगर पंचायत, हिसुआ (नवादा) की बोर्ड की बैठक दिनांक 22.01.13 में 13वीं वित्त की राशि से हिसुआ पेयजलापूर्त्ति केन्द्र हेतु 35 KVA का एक जेनेरेटर सेट क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

क्रय समिति बैठक पंजी (07.06.13) के प्रविष्टि के अनुसार निविदा के आलोक में Fabricon Generator Pvt. Ltd., Dakbungalon Road, Patna के द्वारा एक मात्र कोटेशन प्राप्त हुआ, जिसका दर ₹438875 था, जिसे स्वीकृत किया गया।

इस कार्यालय के पत्रांक 427 दिनांक 11.07.13 द्वारा Fabricon Generator Pvt. Ltd को 35 KVA 3 Phase Excorts Powered Silent DG set (with installation) 30 दिनों के अंदर आपूर्ति एवं अधिष्ठापन नगर पंचायत, हिसुआ के कार्यालय परिसर में कराने का कार्यादेश दिया गया।

जेनेरेटर अधिष्ठापन के उपरान्त फर्म द्वारा प्रस्तुत विपत्र ₹438875 के विरूद्ध ₹52201 वैट की राशि तथा ₹9945 इन्कम टैक्स कटौती के बाद शेष ₹376729 अभिश्रव संख्या 264 दि. /2013–14 दिनांक 13.11.13 द्वारा भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

1. क्रय किये गये जेनेरेटर सेट का भंडार पंजी में प्रविष्टि नहीं किया गया था।
2. दिनांक 31.08.12 एवं 22.01.13 के बोर्ड के बैठक में हिसुआ पाईप लाईन पेयजलापूर्त्ति केन्द्र में सुचारू रूप से पेयजलापूर्त्ति किये जाने हेतु एक 35 KVA का जेनेरेटर सेट क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया था।

35 KVA जेनेरेटर के क्रय के संबंध यह स्पष्ट नहीं किया गया कि हिसुआ नगर पंचायत में समुचित पेयजलापूर्त्ति हेतु वास्तव में कितने शक्ति तथा किन तकनीकी विशिष्टियाँ वाले जेनेरेटर की आवश्यकता थी? किसी संबंधित तकनीकी अभियन्ता/विशेषज्ञ से सलाह नहीं ली गई। बोर्ड द्वारा 35 KVA शक्ति वाले जेनेरेटर क्रय का निर्णय का क्या आधार था, स्पष्ट नहीं किया गया।

3. संचिका के नोटिंग एवं विपत्र के अनुंसार दिनांक 05.08.13 को ही फर्म द्वारा कार्यालय परिसर में जेनेरेटर सेट आपूर्ति एवं अधिष्ठापन किया जा चुका था। परन्तु उक्त तिथि के बाद 10 माह से भी अधिक बीत जाने के बावजूद उक्त जेनेरेटर का कोई उपयोग नहीं किया गया, कार्यालय परिसर में अधिष्ठापित तिथि से यथास्थिति अनुपयोगित पड़ा हुआ था।

4. फर्म द्वारा प्रस्तुत वारन्टी कार्ड के अनुसार जेनेरेटर में कोई manufacturing defects पाया गया तो इसकी वारन्टी स्थापित के 12 माह के अन्दर या निर्गत तिथि के 15 माह के अन्दर, जो भी पहले हो, अवधि तक रहेगा।

इस प्रकार जेनेरेटर सेट का वारन्टी अवधि भी समाप्त होने को है।

उपरोक्त आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत कार्यालय द्वारा बताया गया कि जेनरेटर सेट की प्रविष्टि भंडार पंजी में कर ली जाएगी। दिनांक 31.08.12 की बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियन्ता शामिल थे। जेनरेटर के उपयोग के संबंध में बताया गया कि दिनांक 26.08.13 की बोर्ड की बैठक में पेय जलापूर्ति केन्द्र तक वायरिंग कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

स्थानीय कार्यालय का जवाब संतोषप्रद नहीं था, क्योंकि हिसुआ नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत समुचित जलापूर्ति हेतु कोई योजना/प्रस्ताव तैयार नहीं की गई थी। फलस्वरूप जेनरेटर के स्थापना तिथि/वायरिंग हेतु बोर्ड द्वारा पारित तिथि के लगभग 10 माह व्यतीत होने के बावजूद इस संबंध में कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया।

उच्चाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि हिसुआ नगर पंचायत में जलापूर्ति व्यवस्था हेतु योजना बनाई जाय तथा क्रय की गई जेनरेटर का अविलम्ब उपयोग में लायी जाय, ताकि निरर्थक व्यय से बचा जा सके तथा उपभोक्ता को सुविधा प्रदान की जा सके। जेनरेटर सेट की उचित कार्य लिये जाने तक की गई व्यय राशि को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका– 2 सोलर स्ट्रीट लाईट का क्रय

नगर पंचायत, हिसुआ द्वारा वर्ष 2013–14 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अंतर्गत नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर 20 सेट सोलर स्ट्रीट लाईट लगवाने हेतु कुल ₹546340 व्यय किया गया। विवरण निम्न है–

क्र. सं.	अभिश्रव सं0/तिथि	राशि (₹)	आपूर्तिकर्त्ता	अभ्युक्ति
1.	167/13–14/05.08.13	285461	अक्षय ऊर्जा शॉप , जहानाबाद	11 सेट 25951/ के दर से सोलर स्ट्रीट लाईट सिंगल मॉडल T.B.P. Tata Battery 80 AH spc moter 74 not pole 4m
2.	168/13–14/05.08.13	15026	वैट राशि	
3.	248/13–14/07.10.13	233559	अक्षय ऊर्जा शॉप , जहानाबाद	
4.	249/13–14/07.10.13	12294	वैट राशि	
कुल		546340		

नगर पंचायत हिसुआ, नवादा की बोर्ड की बैठक दिनांक 22.01.13 में लिये गये निर्णयानुसार चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में सड़कों में रौशनी व्यवस्था मद अंतर्गत विभिन्न वार्डो में 11 सोलर

1174

लाईट अधिष्ठापन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 107/27.02.13 के द्वारा कोटेशन आमंत्रण हेतु सूचना प्रकाशित के लिए सहायक निदेशक (विज्ञापन) सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को अनुरोध किया गया।

क्रय समिति बैठक संख्या 01/2013 दिनांक 07.06.13 के कार्यवाही के प्रस्ताव सं0 में प्रविष्टि के अनुसार निविदा के आलोक में 5 कोटेशन प्राप्त हुआ। (1. नालन्दा अक्षय ऊर्जा शॉप– दर ₹30450, 2. अक्षय ऊर्जा शॉप, जहानाबाद– दर ₹27317 3. श्री राम इन्टरप्राइजेज, हिसुआ– दर 28500 4. सूर्यांश पावर देवघर– दर ₹20800 5. MD Enterprises, Banglore- दर ₹21500). क्रय समिति द्वारा क्र0 3, 4, 5 को ब्रेडा का नहीं रहने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया तथा न्यूनतम दर के अनुसार क्र0 2 अर्थात् अक्षय ऊर्जा शॉप, जहानाबाद को कोटेशन दर ₹27317 स्वीकृत किया। इस कार्यालय के ज्ञापांक संख्या 426 दिनांक 11.07.13 के द्वारा मेसर्स अक्षय ऊर्जा शॉप, जहानाबाद को 11 स्थलों पर ब्रेडा का सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापित हेतु कार्यादेश दिया गया था। पुनः ज्ञापांक 596/02.09.13 के द्वारा 9 स्थलों पर सोलर लाईट लगाने हेतु कार्यादेश दिया गया। विभिन्न वार्डो के वार्ड पार्षदों के प्रमाण पर उन्हें उपरोक्त राशि भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

1. अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण किस समाचार पत्र तथा किन तिथि को प्रकाशित हुआ, संचिका में दर्ज नहीं था न ही लेखापरीक्षा में अखबार की कटिंग प्रस्तुत किया गया।
2. क्रय समिति द्वारा क्र0 3, 4, 5 पर वर्णित कोटेशन को ब्रेडा का नहीं रहने के कारण रद्द कर दिया गया तथा नालन्दा अक्षय ऊर्जा शॉप बिहारशरीफ (क्र0 1, दर– 30450) एवं अक्षय ऊर्जा शॉप, जहानाबाद (क्र0 2, दर– 27317) में से न्यूनतम दर के कारण अक्षय ऊर्जा शॉप का कोटेशन स्वीकृत किया गया।

   अक्षय ऊर्जा शॉप द्वारा प्रस्तुत कोटेशन में यह अंकित नहीं पाया गया कि उक्त दर किस फर्म का है। बिना सोलर लाईट के निर्माता/फर्म की जानकारी के कैसे तुलनात्मक अध्ययन किया गया, लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। मेसर्स अक्षय ऊर्जा शॉप, जहानाबाद के कार्यादेश में भी यह अंकित नहीं पाया गया कि ब्रेडा द्वारा मान्यता प्राप्त किस कंपनी का सोलर लाईट आपूर्ति किया जाना है।
3. आपूर्तिकर्ता के साथ कार्यादेश से पूर्व सोलर लाईट के अधिष्ठापन/रख–रखाव का कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया। आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत विपत्र में उपकरणों यथा सोलर प्लेट/बैट्री आदि का क्रम संख्या दर्ज नहीं किया गया न ही संचिका में कोई वारन्टी कार्ड पाया गया/आपूर्ति की गई सामग्री से संबंधित कोई कागज़ात पाया गया। लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं हो सका कि वास्तव में आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किस कंपनी का सोलर लाईट (बैट्री सहीत) अधिष्ठापित किया गया। सक्षम

अधिकारी द्वारा इस कागजात की माँग क्यों नहीं की गई, स्पष्ट नहीं किया गया। सोलर लाईट के अधिष्ठापन से संबंधित कोई फोटोग्राफ भी नहीं पाया गया।

4. आपूतिकर्त्ता को संबंधित वार्ड पार्षदों के प्रमाण पर कुल भुगतान किया गया, जबकि किन्हीं भी वार्ड पार्षदों के प्रमाण पत्र में यह इंगित नहीं किया गया कि सोलर लाईट किस कंपनी का लगा है तथा उनका क्या क्रमांक है।
5. विदित है कि इस कार्यालय के पत्रांक 123/दिनांक 31.01.2014 के द्वारा आपूर्तिकर्त्ता अक्षय ऊर्जा शॉप को सूचित किया गया कि वार्ड नं0 1, 11, 16 एवं 17 में आपके द्वारा अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाईट जलता नहीं पाया गया। यह विगत माह से ही बन्द है। अविलम्ब लाईट ठीक करवाकर चालू की जाय।

उपरोक्त पत्र के आलोक में आपूर्तिकर्ता द्वारा सभी सोलरलाईट को ठीक कराया गया या नहीं लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

अतः सोलर लाईट के अधिष्ठापन प्रक्रिया में पायी गयी त्रुटियाँ के कारण सभी अधिष्ठापित सोलर लाईट (20) के सामग्री के गुणवत्ता व संतोषप्रद कार्यान्वयन का होना संदेहास्पद प्रतीत होता है।

अतः कार्यपालक अधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि लगाये गये सभी 20 सोलर लाईट की तकनीकी विशिष्टियाँ, कंपनी का नाम, सामग्री ब्रेडा द्वारा अधिकृत/अनुशंसित है या नहीं, संतोषप्रद कार्य, इसके रख–रखाव की व्यवस्था आदि से स्थल निरीक्षण कर लेखापरीक्षा कार्यालय को समुचित कागजात के साथ उपलब्ध करायी जाय।

उक्त आपत्ति के जवाब में कहा गया कि

1. कार्यालय में तत्काल पेपर का कटिंग उपलब्ध नहीं है।
2. अक्षय ऊर्जा शॉप, जहानाबाद चूँकि ब्रेडा का एजेन्सी था और उनका दर न्यूनतम था। इसलिए न्यूनतम दर होने के कारण क्रय समिति द्वारा इनका कोटेशन स्वीकृत किया गया।
3. जानकारी के अभाव में वार्ड पार्षद के प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान किया गया।
4. आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा संबंधित वार्डो में अधिष्ठापित खराब सोलर लाईटों को ठीक कर दिया गया है। सभी सोलर लाईट कार्यरत है। इसका चूँकि ठीक होने संबंधी प्रमाण–पत्र आपूर्तिकर्त्ता से नहीं प्राप्त की जा सकी थी, पुनः स्थल जाँच कर प्रमाण–पत्र प्राप्त कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। आपत्ति के आलोक में कम्पनी का नाम, क्रमांक, वारन्टी, संतोषजनक रख– रखाव के संबंध में जाँच कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि उपर वर्णित तथ्यों से सोलर लाईट खरीद तथा उसके अधिष्ठापन की पूरी प्रक्रिया ही संदेहास्पद प्रतीत होती है। अतः सक्षम पदाधिकारी से आग्रह किया जाता है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच करायी जाय। तत्पश्चात् आवश्यक कार्रवाई कर

1172

लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय। जाँच प्रक्रिया लम्बित रहने तक इस मद में भुगतान की गई राशि ₹546340 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कंडिका– 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम का संदेहास्पद क्रियान्वयन

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के तहत शहरी गरीबों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाने का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में नगर विकास विभाग द्वारा पत्रांक 927 दिनांक 06.09.12 द्वारा 17 ट्रेडो में इच्छुक गरीबों को प्रशिक्षण देने हेतु निर्देश जारी किया गया था। पत्र के साथ 63 संस्थाओं की सूची भी संलग्न की गयी थी तथा निर्देश दिया गया था कि संस्थाओं की योग्यता की अच्छी तरह से जाँच कर लिया जाय। इस हेतु नगर विकास विभाग द्वारा पत्रांक 1113 दिनांक 30.10.12 के माध्यम से ₹3000000 का आवंटन प्राप्त हुआ।

संचिका की नोटिंग के अनुसार संयुक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मानव सेवाश्रम का चयन करने हेतु दिनांक 25.10.12 को मुख्य पार्षद के पास अनुमोदनार्थ भेजा गया। दिनांक 07.01.13 तक मुख्य पार्षद द्वारा अनुमोदित नहीं किये जाने के कारण पुनः योग्य संस्था/संस्थाओं के चयन हेतु 10 गैर सरकारी संस्थाओं की सूची मुख्य पार्षद के पास भेजी गयी। तत्पश्चात् मुख्य पार्षद द्वारा दों संस्थाओं यथा शांतिदूत को कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा तिरहुत समग्र विकास परिषद को फैशन डिजाइनिंग के प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया। दिनांक 12.01.13 को कई वार्ड पार्षदों द्वारा चयन प्रक्रिया का विरोध करते हुए आवेदन दिया गया तथा दिनांक 22.01.13 की बैठक में भी विरोध किया गया। तत्पश्चात् तीनों संस्थाओं (मानव सेवाश्रम, शांतिदूत तथा तिरहुत समग्र विकास परिषद) को प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आदेश निर्गत किया गया (पत्रांक 91 दिनांक 22.02.13)। यद्यपि सदस्यगण इससे भी सहमत नहीं थे। वे लोग शांतिदूत तथा तिरहुत समग्र विकास परिषद के चयन का विरोध कर रहे थे।

पुनः यह पाया गया कि दिनांक 09.01.13 को मुख्य पार्षद द्वारा नोटिंग के अनुसार तिरहुत समग्र विकास परिषद को फैशन डिजाईन प्रशिक्षण का आदेश दिया गया था, जबकि दिनांक 22.02.13 को निर्गत आदेश में इसी संस्था को कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का आदेश दिया गया।

चयनित संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्य के विरूद्ध किये गये भुगतान का विवरण निम्नवत है–

क्र0 सं0	संस्था का नाम	भुगतान की राशि	चेक सं./तिथि	प्रशिक्षणार्थियों की सं0
1	तिरहुत समग्र विकास परिषद्	312450 65000 377450	271772/18.05.13 577662/	57
2	मानव सेवाश्रम	306645 85000 391645	271771/18.05.13	55
3	शांतिदूत	250498	271773/	57
	कुल भुगतान	**1019593**		**169**

अंकेक्षण आपत्ति–

(क) जब जाँच प्रतिवेदन के अनुसार शांतिदूत तथा तिरहुत समग्र विकास परिषद के पास न तो कोई आधारभूत संरचना थी और न ही पूर्व में हिसुआ नगर पंचायत क्षेत्र में कार्य का कोई अनुभव था, तब फिर किस आधार पर उनको चयनित कर प्रशिक्षण कार्य सौंपा गया, यह संचिका से स्पष्ट नहीं हो पाया।

(ख) संस्थाओं के चयन की शर्त के अनुसार प्रशिक्षकों को कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए, परंतु शांतिदूत तथा तिरहुत समग्र विकास परिषद द्वारा इसका साक्ष्य/प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ग) कोर्स की समाप्ति के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना था, परन्तु न तो कोर्स समाप्ति का कोई प्रमाण पाया गया और न ही प्रमाण पत्र निर्गत करने का।

(घ) संस्थाओं तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों के चयन हेतु कोई नोटिस जारी किया गया था या नहीं, इसका प्रमाण नहीं पाया गया, फिर किस आधार पर आवेदन प्राप्त किया गया।

(ड़) प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति से संबंधित साक्ष्य नहीं पाया गया।

(च) प्रशिक्षण से संबंधित किसी भी स्तर पर फोटोग्राफी का साक्ष्य नहीं पाया गया।

(छ) प्रशिक्षकों तथा अन्य मदों पर कितनी राशि का व्यय किया जाना था, इसका विवरण नहीं पाया गया, फिर किस आधार पर उक्त मदों में भुगतान किया गया।

(ज) मानव सेवाश्रम तथा तिरहुत समग्र विकास परिषद द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को टूलकिट उपलब्ध कराने का साक्ष्य नहीं पाया गया।

(झ) शांतिदूत द्वारा प्रशिक्षकों को मानदेय भुगतान का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, फिर किस आधार पर शांतिदूत को प्रशिक्षण हेतु भुगतान किया गया।

उपरोक्त तथ्यों से प्रशिक्षण कार्यक्रम की पूरी प्रक्रिया ही संदेहास्पद प्रतीत होती है।

जवाब में बताया गया कि

(क) मुख्य पार्षद के द्वारा दो संस्थाओं शांतिदूत एवं तिरहुत समग्र विकास परिषद् को चयनित किया गया था। यद्यपि इसका कोई आधार नहीं था।

(ख) वर्त्तमान में नगर पंचायत कार्यालय में उक्त प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं है। इसे प्राप्त कर (संबंधित संस्था से) अंकेक्षण विभाग को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(ग) प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 1.3.13 से 31.7.13 तक चला। परन्तु प्रशिक्षण समाप्ति संबंधी प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु संस्थाओं को नोटिस दिया जा रहा है।

(घ) इस संबंध में नगर विकास विभाग के तरफ से समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित की गई थी। इसी आधार पर संस्थाओं तथा आदेशों द्वारा आवेदन दिया गया। यद्यपि कि नगर पंचायत कार्यालय में सूचना प्रकाशन का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

(ड़) संबंधित संस्थाओं में प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति पंजी प्राप्त कर महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कर दिया जाएगा।

(च) नगर पंचायत कार्यालय द्वारा फोटोग्राफी की व्यवस्था नहीं की गई थी। फलतः इसकी मांग संबंधित संस्था से की जाएगी।

(छ) नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 1113 दिनांक 31.10.12 में अंकित अनुमानित दर के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की गई है।

(ज) संबंधित संस्था से टूलकीट प्राप्ति रसीद प्राप्त कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित कर दिया जाएगा।

(झ) संबंधित संस्था द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में भुगतान किया गया है। यद्यपि संबंधित संस्था से प्राप्ति रसीद प्राप्त कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित कर दिया जायेगा।

नगर पंचायत स्तर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का जाँच कराकर सभी समर्थित प्रमाण–पत्रों के साथ वस्तुस्थिति से महालेखाकार कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा।

आपत्तियों के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन होना तथा सफलतापूर्वक संपन्न होने की सत्यता की जाँच कराकर वस्तुस्थिति से महालेखाकार को अवगत कराया जाय। जाँच पूरी होने तक भुगतान की गई राशि ₹1019593 को अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

कंडिका– 4 तेरहवीं वित्त आयोग

अनुदान पंजी के संधारण नहीं रहने के कारण वर्ष 2013–14 के प्रारंभ में 13वें वित्त आयोग अन्तर्गत 01.04.13 को कुल कितनी राशि अव्यवहृत थी, स्पष्ट नहीं हो पाया। यद्यपि इस मद हेतु पृथक सहायक रोकड़ बही (31.03.13 तक) के अनुसार कुल ₹3281787 अव्यवहृत था।

वर्ष 2013–14 में उन मद में कुल ₹6469637 प्राप्त हुआ, जिसका विवरण निम्न है–

क्र0 सं0	प्राप्ति तिथि	राशि (₹)	स्वीकृत पत्र/तिथि
1	10.05.13	1374892	764/आ0/2.5.13 (12–13 द्वितीय किस्त)
2	10.05.13	267000	765/आ0/2.4.13 (12–13 प्रथम किस्त)
3	07.08.13	1545958	27/आ0/19.7.13 (13–14 प्रथम किस्त)
कुल		3187850	

उपलब्ध कुल राशि– 3281787
+ 3187850
6469637

तेरहवें वित्त आयोग के स्वीकृत राज्यादेश 4713/17.08.10 एवं पत्रांक 1885/30.07.13 के अनुसार प्राप्त राशि में से कम से कम 50 प्रतिशत राशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर किया जाना है। शेष पाईप जलापूर्ति, रख–रखाव भुगतान सहित सड़को में प्रकाश व्यवस्था लगवाने हेतु आवश्यक उपकरण, इस पर

बिजली तथा पेय जल पर उपभोग किए बिजली के बिल के भुगतान रैन बसेर/ओल्ड ऐज होम का निर्माण एवं रखरखाव पर किया जाना है।

उपरोक्त कुल उपलब्ध राशि ₹64.70 लाख में से वर्ष 2013–14 में मात्र ₹16.96 लाख ही उपयोग किया गया, जो कुल उपलब्ध राशि का मात्र 26.21 प्रतिशत ही था। मदवार व्यय निम्न है–

क्र0सं0	मद	व्यय	व्यय की प्रकृति
1	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	99000 + 1054000 1153000	नाली का निर्माण डस्टबीन का क्रय
2	पेय जलापूर्ति	438875 + 104400 543275	पेय जलापूर्ति केन्द्र हेतु 35 के.भी.ए.जेनेरेटर का क्रय चापाकल
कुल		1696275	

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

1. अनुदान का उपयोग दयनीय

तेरहवें वित्त अन्तर्गत प्रारंभ से प्राप्त अनुदान तथा इसके उपयोग उपयोग की विवरणी निम्न प्रकार है–

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति	उपलब्ध कुल राशि	उपयोग	उपयोग का प्रतिशत
2010–11	शून्य	1000000	1000000	शून्य	शून्य
2011–12	1000000	3376796	4376796	558372	12.75 %
2012–13	3818424	1665000	5483424	2201637	40.15 %
2013–14	3281787	3187850	6469637	1696275	26.21 %

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि तेरहवीं वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रतिशत काफी निराशाजनक थी। यह शून्य से 40.21% तक पाया गया। किन परिस्थिति में प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

2. वर्ष 2013–14 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत नाली के योजना पर हुए व्यय को दर्शाया गया। उक्त योजना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है। अतः उक्त व्यय राशि का भरपाई अन्य मद से की जाय।
3. पुनः राज्यादेश के अनुसार 13वीं वित्त आयोग अन्तर्गत प्राप्त राशि का उपयोग पाईप जलापूर्ति पर की जानी है, परन्तु उक्त मद अंतर्गत नगर परिषद द्वारा चापाकल पर ₹104400 व्यय किया गया था, जो प्रावधान के विपरीत है।

जवाब में बताया गया कि

1168

1. राशि का समुचित उपयोग करने हेतु बोर्ड में प्रस्ताव रखा जाएगा। तत्पश्चात प्राप्त निधि का शत प्रतिशत उपयोग करने का प्रयास किया जाएगा। चूकि बोर्ड द्वारा पूर्व में सीमित योजनाओं का अनुमोदन किया गया था, फलस्वरूप राशि व्यय नहीं की जा सकी।

2 एवं 3. बोर्ड द्वारा योजनाएँ स्वीकृत किये जाने के पश्चात नाली निर्माण एवं चापाकल का काम किया गया यद्यपि भविष्य में 13वीं वित्त आयोग की दिशानिर्देश के अनुसार ही योजनाओं का चयन किया जाएगा।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि गैर प्रावधानित कार्य हेतु राशि व्यय की गई। अतः इस राशि की प्रतिपूर्त्ति उस मद से की जाय जिस मद में नाला निर्माण तथा चापाकल जैसी योजनाओं का प्रावधान किया गया है। प्रतिपूर्त्ति किये जाने तक राशि ₹104400 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है। प्राप्त अनुदान की राशि के उपयोग हेतु ठोस सार्थक कदम उठायी जाय।

कंडिका– 5 अनुदान राशि का अवरोधनः ₹3.94 लाख

लेखापाल रोकड़ बही के अनुसार 31.03.2014 को रोकड़ बही शेष ₹43740859.700 था। पी.एल. खाता में मदवार अवशेष से संबंधी विवरणी के अनुसार उपरोक्त अवशेष में ₹27851929.12 पी. एल. खाता में था।

वर्ष 2008 से 20014 का उपलब्ध कराये गये अवशेष विवरणी के अनुसार पथों के निर्माण/जीर्णोद्धार मद में ₹210942 तथा माननीय विधायकों की अनुशंसा के आलोक में सभी वार्डो में दो–दो चापाकल अधिष्ठापन कार्य मद में ₹183312.00 क्रमशः 2009–10 एवं 2012–13 से अव्यवहृत पड़ा हुआ पाया गया। विशेष उद्देश्य हेतु प्राप्त अनुदान राशि का किन कारणों से उपयोग नहीं किया जा सका, स्पष्ट नहीं किया गया। उक्त अनुदान राशि की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर या तो नियमानुसार उपयोग की जाय अथवा स्वीकृतिदाता को वापस की जाय।

जवाब में बताया गया कि बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण राशि व्यय नहीं हो पाई। भविष्य में बोर्डो से अनुमोदन प्राप्त कर शीघ्र अनुदानित राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

कंडिका– 6 श्रम उपकर कटौती नहीं किए जाने के कारण संवेदक को अधिक भुगतान ₹81799

भारत सरकार श्रम मंत्रालय के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण' उपकर अधिनियम 1996 के तद्नुसार बिहार सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना संख्या 4/एफ–1–302/2006, श्र0नि0–865 दिनांक 18.08.2008 द्वारा श्रम उपकर लागू किया। इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों को निर्माण की लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर विपत्रों से कटौती कर 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' को प्रेषित करने का प्रावधान है। परंतु लेखापरीक्षा में निर्माण कार्य से संबंधित अभिलेखों/विवरणी के अनुसार पाया गया कि वर्ष 2013–14 के दौरान विभिन्न योजनाओं पर नगर पंचायत द्वारा ₹8179898 व्यय हुआ, परन्तु संवेदक को उनके विपत्रों का भुगतान के समय नियमानुसार श्रम उपकर (1 प्रतिशत) की कटौती नहीं की गई थी, जिसके कारण संवेदक को ₹81799 का अधिक भुगतान किया गया। जवाब में बताया गया कि जानकारी के अभाव में श्रम उपकर की

कटौती नहीं की जा सकी। अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में भविष्य में तदोनुसार श्रम उपकर की कटौती की कार्रवाई की जाएगी। जवाब संतोषप्रद नहीं था। अतः ₹81799 की वसूली संबंधित दोषी व्यक्ति से कर संबंधित शीर्ष में जमा की जाय।

कंडिका– 7(i) नहीं जमा (₹ 1.17 लाख) (एच0 रसीद)

नगर पंचायत, हिसुआ (नवादा) के वर्ष 2013–14 के लेखाओं के लेखापरीक्षा के नमूना जाँच में पाया गया कि विभिन्न कर संग्राहकों द्वारा एच–रसीद से वसूली गई राशि को लगभग 1 से 2 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद नगर पंचयत कोष में जमा नहीं की गई। विवरण निम्न है–

क्र0 सं0	रसीद सं0	कर संग्राहक के नाम (सर्व श्री)	वार्ड सं0	संग्रहण तिथि	जमा नहीं की गई राशि (₹)
1	6560 से 6565	गौतम कुमार	1	28.04.14 से 23.06.14	12814.00
2	6261 से 6266	गौतम कुमार	2	16.04.14 से 12.06.14	18240.00
3	6893	गौतम कुमार	3	09.05.14	971.00
4	6964 से 6976	गौतम कुमार	4	22.04.14 से 07.06.14	3971.00
5	6482 से 6483	गौतम कुमार	5	16.04.14 से 13.05.14	580.00
6	6348 से 6366	गौतम कुमार	6	04.04.14 से 19.06.14	18368.00
7	7010 से 7017	गौतम कुमार	7	04.04.14 से 04.06.14	16922.00
8	2987 से 2989	गौतम कुमार	8	31.05.14 से 17.06.14	2677.00
9	6734 से 6758	मुकेश कुमार	9	04.04.14 से 11.06.14	16284.00
10	5094 से 5100	मुकेश कुमार	10	04.04.14 से 29.05.14	4337.00
11	6618 से 6632	मुकेश कुमार	11	12.04.14 से 17.06.14	7996.00
12	5981 से 5989	मुकेश कुमार	12	07.04.14 से 24.06.14	4526.00
13	5167 से 5169	मुकेश कुमार	13	30.04.14 से 07.06.14	762.00
14	5559 से 5572	मुकेश कुमार	14	29.04.14 से 31.05.14	4972.00
15	6038	मुकेश कुमार	15	30.04.14	121.00
16	6169 से 6180	मुकेश कुमार	16	20.04.14 से 30.04.14	1698.00
17	5760 से 5763	मुकेश कुमार	17	05.04.14 से 31.05.14	2133.00
कुल					**117372.00**

नियमतः राशि वसूली के दिन या अगले दिन ही नगर पंचायत कोष में जमा कर देनी चाहिए। जवाब में बताया गया कि बकाया राशि शीघ्र ही नगर पंचायत कोष में जमा कराकर प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि नकदी वसूल कर निकाय के खाते में जमा नहीं किया जाना अस्थायी गबन का मामला है। अतः इसे शीघ्र अतिशीघ्र निकाय खाते में जमा कर महालेखाकार को सूचित किया जाय। साथ ही भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो, यह सुनिश्चित किया जाय।

कंडिका– 7(ii) नहीं जमा राशि (₹1.20 लाख) (विविध एवं बस स्टैण्ड)

नगर पंचायत, हिसुआ के वर्ष 2013–14 के लेखाओं के लेखापरीक्षा के नमूना जाँच में पाया गया कि विभिन्न वसूलीकर्त्ता द्वारा विविध रसीद एवं बस–स्टैण्ड से वसूली गई राशि के 1 से 2 माह से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद नगर पंचायत कोष में जमा नहीं कराया गया है। विवरण निम्न है–

166

क्र0 सं0	रसीद सं.	दिनांक	राशि (₹)	वसूलीकर्त्ता के नाम/पदनाम (श्री)
1	2483 से 2500	05.04.14 से 13.05.14	250.00	सत्य सिंधु शरण/टैक्स दरोगा
2	2509 से 2514	02.04.14 से 06.06.14	4475.00	सत्य सिंधु शरण/टैक्स दरोगा
3	2608 से 2611	24.04.14 से 28.05.14	7300.00	बिनोद कुमार नंद क्युलियार (प्रधान सहा0)
4	2701 से 2716	13.05.14 से 19.06.14	170.00	सत्य सिंधु शरण/टैक्स दरोगा
5	26666 से 28953 3081 से 3232 12443 से 13000 31881 से 33000 01 से 968 01 से 1523	01.05.14 से 31.05.14 01.05.14 से 31.05.14 01.05.14 से 12.05.14 01.05.14 से 12.05.14 01.05.14 से 31.05.14 12.05.14 से 31.05.14	108545.00	अशोक कुमार/कर संग्राहक (हिसुआ बस–स्टैण्ड)
कुल			120740.00	

नियमतः वसूली गई राशि को अगले दिन तक नगर पंचायत कोष में जमा किया जाना चाहिए। जवाब में बताया गया कि बकाया राशि शीघ्र ही नगर पंचायत कोष में जमा कराकर प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि नकदी वसूल कर निकाय के खाते में जमा नहीं किया जाना अस्थायी गबन का मामला है। अतः इसे शीघ्र–अतिशीघ्र निकाय खाते में जमा कर महालेखाकार को सूचित किया जाय। साथ ही भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो, यह सुनिश्चित किया जाय।

कंडिका– 8 होल्डिंग कर की बकाया राशि ₹4.13 लाख

नगर पंचायत, हिसुआ द्वारा होल्डिंग कर की वार्षिक माँग एवं वसूली से संबंधित पंजी का संधारण नहीं किया गया था, जिससे यह पता नहीं चल सका कि नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत होल्डिंग कर से संबंधित कुल कितनी माँग थी तथा इसके विरूद्ध कितनी वसूली की गई है. यद्यपि नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2013–14 की माँग एवं वसूली से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया, जो निम्नवत है–

कुल होल्डिग सं.	कुल माँग	कुल वसूली	कुल बकाया
3311	2427600	2013900	413700

बकाया होल्डिग कर की यथाशीघ्र वसूली कर महालेखाकार को अवगत कराया जाए। साथ ही बकाया होल्डिग कर से संबंधित निजी एवं सरकारी भवनों का अलग– अलग विवरण लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

जवाब में बताया गया कि माँग एवं वसूली पंजी का संधारण कर लिया जाएगा। साथ ही बकायादारों को नोटिस जारी कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। सरकारी भवनों के बकाया राशि का विवरण शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा।

कंडिका– 9 मोबाईल टावर पर बकाया राशि ₹4.68 लाख

बिहार सरकार द्वारा संचार टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 दिनांक 08.10.12 को अधिसूचित किया गया था। उपर्युक्त नियमावली के नियम 6 (1) के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क ₹8000 प्रतिवर्ष प्रति टावर निर्धारित किया गया है।

नियम 6(2) के अनुसार उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों को उपवर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। नगर निकाय द्वारा लेखापरीक्षा के प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत 9 मोबाईल टावर अधिष्ठापित थे, जिसपर 31.03.14 तक कुल ₹468000 शुल्क बकाया था।

वर्त्तमान में कितने टावर अपंजीकृत रूप में कार्य कर रहे हैं एवं मोबाईल टावर बकाया शुल्क की वसूली हेतु नगर पंचायत द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, इससे लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

जवाब में बताया गया कि राशि की वसूली हेतु पूर्व में नोटिस दी जा चुकी है। पुनः नोटिस निर्गत करने के साथ– साथ वसूली हेतु ठोस प्रयास लिया जाएगा। अपंजीकृत टावर की पहचान हेतु जाँच करायी जाएगी तथा फलाफल से अंकेक्षण विभाग को अवगत करा दिया जाएगा।

कंडिका– 10 दूकान किराया की वसूली नहीं होना ₹1.37 लाख

नगर पंचायत द्वारा स्वयं के स्त्रोतों/स्व वित्तपोषित योजनाओं द्वारा दुकान का निर्माण कराया गया था एवं उन्हें मासिक किराया पर दिया गया था। लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराए गए विवरणी के अनुसार विभिन्न दुकानों पर 31.03.14 तक कुल ₹137200 बकाया था।

दुकानों पर बकाया वसूली नहीं किए जाने के कारण एवं इसकी वसूली हेतु नगर पंचायत द्वारा क्या प्रयास किए गए है।

जवाब में बताया गया कि वसूली हेतु पूर्व में नोटिस जारी करने के साथ– साथ नीलाम–पत्र दायर किया जा चुका है। भविष्य में वसूली हेतु और सार्थक प्रयास किये जाएँगे।

कंडिका– 11 मापी पुस्त के अनुसार मद में प्राक्कलन से अधिक भुगतान ₹1.07 लाख

योजना सं.– 10/13–14

योजना मद– पि.क्षे.अ.नि.

योजना का नाम– हिसुआ वार्ड नं0 11 में अशोक कुमार के घर से छोटे सिंह का घर होते हुए ईंट सोलिंग पी0सी0सी0 एवं ढ़क्कनयुक्त नाली का निर्माण।

तकनीकी स्वीकृति– 18.11.2013

प्रशासनिक स्वीकृति– 01.01.14

प्राक्कलित राशि– 500000

V64

मापी पुस्त राशि– 499012
अभिकर्ता को भुगतान– 435240

1. प्राक्कलन के अनुसार मद संख्या (4) की राशि–
   Providing 100 AB/W c.r (1:4) in foundation

   For 100' 8.45 m^3 @ 3914.60/m^3 = 33078
   For length 490' = 162082.00

   मद सं0 (3) की राशि–

   For 100' 3.15 m^3 @ 3914.60/m^3 = 12318
   For length 275' = 33875.00

   कुल प्राक्कलन– 195957

   मापी पुस्त के अनुसार कुल भुगतान (मद सं0 3)– 260203
   अधिक भुगतान= ₹260203 – ₹195957
   = 64246 (25 प्रतिशत अधिक)

2. प्राक्कलन के मद सं0 7 के अनुसार प्राक्कलित राशि–
   Providing M.S. reinforcement
   R.C.C. (1:2:4)
   178/9 @ 65.70/S = 11695
   Hence for length 490' = 57305
   मापी पुस्त के अनुसार भुगतान– 93885
   अधिक भुगतान की गई राशि: ₹ 93885 – ₹ 57305 = ₹ 36580 (39 प्रतिशत अधिक भुगतान)

3. प्राक्कलन के मद संख्या (6) के अनुसार प्राक्कलित राशि–
   Providing R.C.C. (1:2:4) in drain-
   2.52 m^3/@ 3380.80/ m^3= 8520
   For length 490' = 41748

   मापी पुस्त के अनुसार भुगतान (मद सं0 6)
   14.46 / m^3 =3380.80/m^3=48886

   अधिक भुगतान: ₹48886 – 41748 = 7138 (15 प्रतिशत अधिक भुगतान)

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

1. उपर्युक्त मद के प्राक्कलन से मापी पु0 के अनुसार मद सं0 4, 6 एवं 7 के अनुसार 15 प्रतिशत से 39 प्रतिशत अधिक भुगतान किया गया है। नियमतः प्राक्कलन से 10 प्रतिशत अधिक या कम भुगतान मापी पुस्त के अनुसार करना है अतः उपर्युक्त मद में प्राक्कलन से कुल ₹107964 (₹64246 + 36580 + 7138) अधिक भुगतान किया गया था।
2. प्राक्कलन में मद सं0 3 एवं 4 के अनुसार Providing 100 A Brick on edge soling के लिए प्रा0 तैयार किया गया था, परंतु इसके अंतर्गत कोई कार्य नहीं करा कर अन्य मद में कार्य कर भुगतान किया गया है।

जवाब में बताया गया कि संबंधित कनीय अभियन्ता से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर तदनुसार आवश्यक कार्रवाई कर अंकेक्षण विभाग को अवगत करा दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक ₹107964 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कंडिका– 12 दैनिक मजदूरों के वेतन पर अनाधिकृत भुगतान ₹8.04 लाख

नगर विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 3939 दिनांक 20.10.99 तथा पत्रांक 1886 दिनांक 25.06.07 के अनुसार नगर निकायों में दिनांक 1.1.85 के दैनिक मजदूरी के आधार पर की गयी नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए उसे अवैध घोषित कर दिया गया था।

नगर पंचायत, हिसुआ के वर्ष 2013–14 के लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा दैनिक मजदूरी मद में कुल ₹804250 का भुगतान किया गया था (विस्तृत विवरण संलग्न)। जब सरकार द्वारा ऐसी नियुक्तियों पर रोक लगाई गई थी, तब किस आधार पर तथा किस मद से दैनिक मजदूरों का वेतन भुगतान किया गया।

जवाब में बताया गया कि दैनिक मजदूरों के वेतन भुगतान की स्वीकृति नगर पंचायत बोर्ड के द्वारा ले ली जाती है। चूँकि दैनिक मजदूरों के बिना कार्य संपन्न कराना मुश्किल है। यद्यपि सरकार से इसकी स्वीकृति हेतु पत्राचार किया जायेगा।

सक्षम स्वीकृति आदेश अविलम्ब प्राप्त कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय।

TAN

कंडिका– 1 सरकारी अनुदान

नगर पंचायत, हिसुआ में सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। फलस्वरूप लेखापरीक्षा वर्ष 2013–14 में प्राप्त अनुदानों का प्रारंभिक शेष तथा अंतशेष सुनिश्चित नहीं किया जा सका, सभी अनुदानों की राशि को पी0एल0 रोकड़ बही में ही संधारित किया जा रहा था तथा इस हेतु कोई सहायक रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था, फलतः वर्ष के दौरान मदवार प्राप्ति एवं व्यय की